

47/1/25

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक 24/10/25

ग्रामीण सेवा शिबिर

कैम्प कोर्ट

2025/528


ओमप्रकाश बनाम 2/2/21

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 24/10/25

पटवारी हल्का कैम्प, भू अभिलेख निरीक्षक नादौती की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम कैम्प के खाता संख्या 45,441 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	असुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध राजस्व प्रविष्टि	वि. वि. सं.
01.	<u>कैम्प</u>	<u>45</u>	<u>1130</u>	<u>शुद्ध</u>	<u>राजपूत</u>	
02.	<u>प</u>	<u>441</u>	<u>1301,1431</u>	<u>प</u>	<u>प</u>	
03.	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1451,1456</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	
04.	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>812,823</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	


उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट 655 कैम्प

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का कैम्प।
03. प्रार्थी ओमप्रकाश।


उपखण्ड अधिकारी
नादौती

